

7. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन अधिनियम 2015 के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकें, जिसके लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने मै. एस.एन. अनंतसुब्रह्मण्यन एंड कं. को ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। इस अंतिम तथा विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार 24 नवंबर, 2017 को मूर्त या अमूर्त (डिजिटैरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित शैड्यूल/अनुदेश निम्नानुसार है :-

- क) उपर्युक्त अंतिम तथा विनिर्दिष्ट तारीख तक वोट करने वाले पात्र शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए यूआरएल <https://evoting.karvy.com> का उपयोग कर सकते हैं। वोटिंग के लिए पोर्टल मंगलवार, 19 दिसंबर, 2017 को सुबह 9:00 बजे से गुरुवार, 21 दिसंबर, 2017 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा।
- ख) लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लेखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड को प्रविष्ट करें।
- ग) उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें।
- घ) आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा। नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा। आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु आप अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं। **यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।**
- ड.) आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा।
- च) सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ोदा का चयन करने हेतु कहेगा। वोटिंग पृष्ठ पर शेयरधारक द्वारा विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख (24 नवंबर, 2017) को धारित शेयरों की संस्था दिखाई देगी। आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से अधिकतम दो के पक्ष में मतदान करने की अनुमति होगी। दो से अधिक के पक्ष में मतदान करने पर आपका वोट खारिज माना जाएगा। पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें। **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते। वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प के लिए वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है।**
- छ) एक से अधिक फोलियो/डिजिटैरिआता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिजिटैरिआता के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया

7. Remote E-Voting

Pursuant to SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, your Bank is pleased to provide remote E-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. To participate through **E-voting is optional**. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Specified/Cut-Off Date i.e Friday 24th November 2017** may cast their vote electronically, through remote E-voting.

The schedule/instructions for E-Voting are as under:

- a) The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Specified/Cut-Off Date, to use the following URL for remote e-voting: <https://evoting.karvy.com>. **The Portal will remain open for voting from 9.00 a.m. on Tuesday, 19th December 2017 up to 5.00 p.m. on Thursday, 21st December 2017 (both days inclusive).**
- b) Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed with this Notice.
- c) After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- d) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**
- e) You need to login again with the new credentials.
- f) On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Specified /Cut-off Date (24th November 2017) will appear. You will have to vote in favour of maximum TWO Candidates out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding TWO candidates shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**
- g) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each

करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी.

- ज) पोर्टल उपर्युक्त सूचित अनुसार बंद हो जाएगा और इसके बंद होते ही यह सुविधा डिसेबल हो जाएगी.
- झ) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति Scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- ञ) ऐसे शेयरधारक जो ईजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद और चुनाव / ई-वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख के बीच में शेयर खरीदते हैं तथा अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल रजिस्टर्ड कराते हैं तो उन्हें इस संबंध में सूचना आरटीए द्वारा दी जाएगी. इस तरह के अन्य शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट को देख सकते हैं.
- ट) किसी भी जानकारी के लिए आप <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं. अथवा मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के उप महाप्रबंधक श्री एस वी राजू, (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ोदा) से कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032 से फोन नं. 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

8. असाधारण सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

चुनाव की कार्यसूची की मर्दों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग साथ ही साथ मतदान के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को असाधारण सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले मतदान में भाग लेने हेतु अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक में इस प्रक्रिया के बारे में परामर्शदाताओं/ई-वोटिंग एजेंसी द्वारा व्याख्या की जाएगी. वोटों की संख्या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट/कट-ऑफ-तारीख को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

बैठक में चुनाव में मतदान बैंक द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा और मै. एस.एन. अनंतसुब्रहमण्यन एंड कं. कंपनी सचिव तथा उनके साथ द्वितीय संवीक्षक के रूप में अपनी सहमति से यह कार्य करने हेतु नियुक्त एक शेयरधारक संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, जो बैठक में भाग ले रहा हो वो मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा.

folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

- g) The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.
- h) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net
- j) Shareholders acquiring Shares between the date for dispatch of the Notice for EGM and the Specified/ Cut-Off Date for election/E-voting and have registered their e-mail IDs with their respective DP, shall be sent communication by RTA in this regard. Such other Shareholders may visit Bank's website to get the details.
- k) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com>. or contact Mr. S.V. Raju, DGM of Karvy Computershare Pvt. Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

8. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the Agenda Item of Election shall be done by remote e-voting as well as by Voting at the Meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate at the Voting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting, the process of which will be explained at the meeting by the Consultants/E-Voting Agency. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified/Cut-Off Date.

The Voting at the Meeting on the Agenda on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. Company Secretaries shall act as Scrutinizer along with one shareholder to be appointed as second scrutinizer on his consent to act as such. The Central Government representative, if any, attending the meeting, will act as an Independent Observer also to oversee the election process.